**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्य सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. 1182

उत्तर देने की तारीख 20.12.2018

**स्कूलों में सामाजिक समावेशन**

1182. श्रीमती वंदना चव्हाण:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग’’ के तहत दाखिला अभिलेख क्या है;

(ख) क्या सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की तुलना में उपर्युक्त समूह में बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर काफी ज्यादा है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए इस प्रकार के स्कूलों में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई दिशानिर्देश बनाये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो मंत्रालय इस प्रकार के स्कूलों में ऐसे समावेशन और भेदभाव न होने को कैसे सुनिश्चित करेगी?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क): निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में पड़ोस की सीमा या निर्धारित क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए पहुँच प्रदान करने का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) सभी सहायताप्राप्त निजी, विशेष वर्ग के स्कूलों और गैरसहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कमजोर वर्गों और वंचित तबकों के बच्चों को कम से कम 25% की संख्या की सीमा तक प्रवेश देने हेतु अधिदेशित करता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अपने वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (ग) के तहत पढ़ने वाले वंचित तबकों और कमजोर वर्गों के बच्चों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
| धारा 12(1) (ग) के तहत प्रवेश दिए गए/पढ़ने वाले बच्चों की संख्या | 24,22,423 | 29,25,303 | 33,84,592 |

(ख) और (ग): नामांकित सभी बच्चों की तुलना में धारा 12(1) (ग) के तहत गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रवेश दिए गए कमजोर वर्गों और वंचित तबकों के बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर से संबंधित सूचना का केंद्रीय स्तर पर रखरखाव नहीं किया जाता है।

(घ) और (ड.): आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8(ग) और 9(ग) ‘संबंधित सरकार’ और ‘स्थानीय प्राधिकारी’ को यह सुनिश्चित करने हेतु बाध्य करती है कि कमजोर वर्गों के बच्चों और वंचित समूहों के बच्चों के साथ प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 23.11.2010 के पत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं कि स्कूल एक ऐसी प्रवेश प्रक्रिया अपनाएं जो भेदभावरहित, तार्किक और पारदर्शी हो। इनका उद्देश्य किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों की प्रोफाइल बनाने और उन्हें वंचित करने से रोकना है और यह विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 26.10.2012 को स्कूलों में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबंधित बच्चों के उत्पीडन और भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित, दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

**\*\*\*\*\***